

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में टेलर के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 05 सं. ज्ञा.के का 13.10.2015 पालन मेंके अनु (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में टेलर के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुष्टिप्प/ भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से बैटे दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल 30, (Thenkhola baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच॥(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

श. सामंत  
(ग. प. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली  
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979, जहां तक उनका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में टेलर के पद से है, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, टेलर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, टेलर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरहता : वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अवधारणा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहिताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
टेलर	5 (पाँच) (2019)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह अराजपत्रित, अधार परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18,000-56,900 रुपये)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जरी किए गए अनुदृश्यों या अदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मोट्रिक (10वीं) या समकक्ष उत्तीर्ण तथा (ख) केंद्रीयराज्य सरकार संस्थान (आईटीआई) या समकक्ष से मान्यता प्राप्त ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से काटिंग व टेलरिंग में प्रमाण पत्र कर्मचारी चयन आयोग के तिवक्तुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती है। अहिताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती है। अनुभूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के तिवक्तुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए अरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले या अवधि विहित आयु और शैक्षिक प्रोत्र विकास की दशा में लागू नहीं	परिवेश की पद्धति : भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्र या द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा निमित्त पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोत्रि प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा वे श्रेणियां जिनसे प्रोत्रि प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	परिवारिय प्रोत्रि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	किमानीय पुष्टि समिति में होगे:- (i) अपर चिकित्सा अधिकारी, लैटी हार्डिंग मोडिकल कॉलेज अस्पताल, नई दिल्ली (ii) उपनिदेशक(प्रशासन), लैटी हार्डिंग मोडिकल कॉलेज अस्पताल, नई दिल्ली (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के उपनिदेशक(प्रशासन)
				(13)
				लागू नहीं
				- अध्यात्म - सदस्य - सदस्य

[फा० सं० ए. 12018/18/2016 एमएच ॥]

अकर सचिव, भारत सरकार  
(जीपी सामंत)